संख्या-53/2020/1552/सैंतीस-2-2020-1(32)/2018

प्रेषक,

एन. पी. पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-26 अगस्त, 2020

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अधीन जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फार शीप एण्ड गोट (के.60/रा.40-के.+रा.) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-42/प0-1, दिनांक-10.07.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा पुनर्वैधीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष रू0-182.16 लाख केन्द्रांश में राज्यांश रू0-121.44 लाख की धनराशि सम्मिलित करते हुए अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0113-राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम-जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फार शीप एण्ड गोट (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-303.60 लाख (रूपये तीन करोड़ तीन लाख साठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	21.60
42-अन्य व्यय	54.70
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	227.30
योग-	**303.60**

(रूपये तीन करोड़ तीन लाख साठ हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता विषयक संगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस हेतु पूर्व में किसी योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं दिनांक-18.05.2020 तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0113-राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम-जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फार शीप एण्ड गोट (के.60/रा.40-के.+रा.)" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-635/दस-2020, दिनांक-24.08.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन. पी. पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-53/2020/1552(1)/सैंतीस-2-2020- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मँत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in